कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444

पत्रांक- 2370 /12-1(2), कोटबंगला दिनांक 5 / 2 /2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :— प्रपोजल संख्या **FP/UK/ROAD/20179/2016** विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत थौला से माड़ मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी का पत्रांक—कैम्प / मेमो—01 दिनांक 18.01.2018।

महोदय,

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित हैः—

क्र.सं	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No. 2, the details of employment likely to be generated during the construction of project given at para-E Part-I online still does not appear to be correct.	In reply to point No. 2 के para-E Part-I online में सही कर दिया गया है।
2	In reply to point No. 6, State Government has still not uploaded the C/B analysis at designated place in online Part-I.	In reply to point No. 6 के online Part-I में अपलोड कर दिया गया है।
3	In reply to point No. 7, details provided in District profile at para 14 in online Part-II still appears to be incorrect.	जिला प्रोफाइल संशोधित कर अपलोड कर दी गई है।
4	In reply to point No. 8, CA scheme submitted for equivalent area and submitted that the same is applied in this case. May clarify.	In reply to point No. 8, क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल दोगुना किया गया है एवं Geo- reference map, KML file Part-1 में अपलोड कर दिया गया है।
5	In reply to point No. 9, 24 trees per hectare does not account for 0.4 density. State Government may review the density and correct the NPV rate accordingly. Hard copy of revised document (Such as NPV calculation sheet) may also be submitted.	In reply to point No. 9, में घनत्व सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संशोधित NPV calculation sheet संलग्न है।
6	In reply to letter dated 07/02/2017, reply of the following points still not submitted. (i)- The date is not mentioned in the FRA certificate and DLC proceedings provided in hard copy of the proposal. (ii) The name of Deputy Commissioner in proceedings of District Level Committee (DLC) in hard copy is different from the name in attendance sheet of the hard copy. Further, the name of DC is different in the DLC proceedings uploaded on web portal.	FRA से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न है।
7	State Govt. may make the necessary correction in the Sub Divisional Level Committee meeting proceedings as name of village Thaula has been mentioned in the SDLC.	ग्राम माड़ ग्राम सभा न्यू खालसी के अन्तर्गत पडता है, का प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	State Government may make necessary corrections regarding CA at para 13 Part-II.	संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग

DENSITY OF VEGETATION

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में थौला से माड़ मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 10.00 किमी. लम्बाई हेतु 8.346 हे० आरक्षित/सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में थौला से माड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.00 किमी.) के निर्माण कार्य से उत्तरकाशी वन प्रभाग की 8.346 हे० आरक्षित/सिविल वन भूमि प्रभावित होती है, जिसमें 207 वृक्षों का पातन किया जाना है। प्रभावित वन भूमि चिन्यालीसौड वन राजि० के दिचली वन ब्लाक की ताछियान कक्ष संख्या 03 के अन्तर्गत आती है, जिसमें हरियाली का घनत्व 0.4 (डेसिमल) है। तथा एन०पी०वी० की संशोधित दर 845000 के अनुसार रु० 7052,390=00 अंकित की जाती है।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
उत्तरकाशी

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कराने हेतु संशोधित दर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के मल्ली बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 10.00 किमी0 (लम्बाई) निर्माण हेतु 8.346 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या– FP/UK/Road/20179/2015

क्र. स.	परियोजना का क्षेत्रफल हे0 में	ईको–क्लास श्रेणी	श्रेणी वन की	घनत्व	प्रभावित वृक्षों की संख्या	दर	धनराशि
1.	8.346	5	सघन वन	0.4	207	845000.00	7052370.00

प्रतिहस्ताक्षर

वनक्षेत्राधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन रेंज
उत्तरकाशी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी

CHECKED

Draughts Man

प्रारूप 30.3

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के मल्ली बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 10.00 किमी0 (लम्बाई) निर्माण हेतु 8.346 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत माड (न्यू खालसी)
तहसील चिन्यालीसौड़ जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत थौला से माड परियोजना के निर्माण हेतु (0. 5.686 हे0) आरक्षित वन भूमि, 1.085 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.210 हे0, वन पंचायत भूमि ——— हे0) अर्थात कुल 8.346 .हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग चिन्यालीसौड़/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत थौला से माड (न्यू खालसी) द्वारा दिनांक 22/03/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम माड (न्यू खालसी) गांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत सचिव
(stamp: ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी)
न्यू खालसी

Photo copy attested

ग्राम प्रधान माड (न्यू खालसी)
(stamp: प्रधान ग्राम–पचायत न्यू खलसी वि0ख0–चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम नई खालसी तहसील–चिन्यालीसौड़ जिला–उत्तरकाशी के माड गांव नई खालसी के कार्य क्षेत्र/ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आता है यह प्रमाण पत्र सही एवं सत्य है।

ग्राम– प्रधान

प्रधान
ग्राम–पचायत न्यू खालसी
वि०ख०–चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी

Photo copy attested

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)